न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 15/2018

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
ईस्माईल खां पुत्र सुभानखां, जाति मोईला मुसलमान, निवासी ओडवाडा,तहसील आहोर, जिला जालोर		सरकार जरिये पटवारी हल्का ओडवाडा,तहसील आहोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश तहसीलदार आहोर दिनांक 16.11.2017(प्र.सं. 12/17)

उपस्थिति :–

1.श्री ईशरारखान्,अभिभाषक,अपीलांट के अभिभाषक की ओर से।

2.श्री छोटूसिंह,सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.7.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अपीलांट का मौजा ओडवाडा के वर्तमान खसरा नम्बर 910 रकबा 0.18 , 0.13, 0.13 हेक्टर,किस्म बारानी सोयम पर मकान मय चार दिवारी,पक्की नीव मय टांका बनाकर अतिक्रमण किया है जो अवैध है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अपीलांट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलांट ने दिनांक 21.7.17को अधिनस्थ न्यायालय में जवाब ,साक्ष्य,सबूत पेश किये, दिनांक 16.11.17 को आदेश पारित किया गया। वस्तुत खसरा नम्बर 910 में से 0.80 हेक्टर भूमि का आवंटन राजकीय प्राथमिक विधालय इन्द्राकॉलोनी को किया गया जिसका म्युटेशन सं. 623 अभिलेख में दिनांक 20.5.2016 पर दर्ज किया गया।खसरा नम्बर 910रकबा 5.17 हेक्टर भूमि पर कब्जा व काश्त अपीलांट का तथा अपीलांट से पूर्व अपीलांट के वालिद का कब्जा काश्त निरन्तर शान्तिपूर्वक चला आ रहा है जिसकी ताईद खसरा परिवर्तनशील संवत् 2058 से होती है। कुछ हिस्से पर अपीलांट के वालिद द्वारा रहवास हेतु मकान का निर्माण भी किया था जो आज भी मौजूद है। अपीलांट के पिता सुभानखां के फौत के बाद तमाम मिलकियत पर अपीलांट व सुभानखां के दीगर वारिसान् बहिस्सा बराबर– बराबर काबिज हुए तथा अपने अपने हिस्से

अनुसार उपयोग व उपभोग करने लगे। रेस्पोडेन्ट एवं अधिनस्थ न्यायालय के कर्मचारी व अधिकारी मेल मिलावट कर पूर्व खसरा नम्बर 355 जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 910 हैक्टर के 5.19 हेक्टर रकबे पर कब्जा काश्त अपीलांट का होने से दिनांक 27.4.16 को अपीलांट को अपने कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जिस पर अपीलांट द्वारा अदालत सहायक कलेक्टर आहोर में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद पेश किया जो राजस्व वाद सं. 37/2016 ,ईस्माईल खां बनाम सरकार जैर तजवीज है। सुभानखां के समय भी विवादित भूमि पर सुभानखां द्वारा दिनांक 28.11.1982 के आदेश को चुनौति दी गई जो न्यायालय उपजिलाधीश जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र सं. 6/82 दिनांक 20.12.1982 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसमें भी 10 बीघा भूमि आबादी होने का उल्लेख है। अपीलांट के सगे जायन्दा भाई असकर खां द्वारा अपीलांट के विरूद्ध सुभानखां वल्द जुल्हेखां की तमाम मिलकियत के रूप में स्थित मकानात् को विभाजित करवाये जाने का एक दावा विभाजन अदालत सिविल न्यायाधीश जालोर में प्रस्तुत किया जो दिवानी मूल वाद सं. 10/2018,असकरखां बनाम ईस्माईलखां वगैराह है तथा वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिवानी विविध 6/18 है जिसमें दिनांक 9.2.18 को कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार मौके की यथास्थिति का आदेश जारी किया जा चुका है। रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 28.1.18 को बेदखल करने की धमकी दी जिस पर अपीलांट द्वारा दिनांक 29.1.18 को आहोर जाकर नकल की मांग की, नकल दिनांक 1.2.18 को मिली तब जानकारी हुई । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.11.2017 (मु.नं.12/17) निरस्त करावे। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ निर्णय दिनांक 16.11.2017 आदि की नकले पेश की ,इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब पेश नही किया गया है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.2017 को गैरसायल ईस्माईल खां स्वयं उपस्थित था।अतः अपील देरीना पेश की गई है जो म्याद बाहर है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलांट के अभिभाषक ने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व

अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.11.2017(प्र.सं.12/17) निरस्त करने का निवेदन किया।इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी वकील ने बताया कि अपीलांट द्वारा मौजा ओडवाडा के खसरा नम्बर 910 रकबा 6.82 हेक्टर में से क्रमशः 0.18, 0.03 व 0.013 पर मकान मय चार दिवारी,पक्की नींव व पक्का टांका,पक्की नींव व पक्का टांका बनाकर अतिक्रमण करने से तहसीलदार आहोर द्वारा बाद सुनवाई के दि.16.11.17 को बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज करावे।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा संवत् 2074 में ओडवाडा के खसरा नम्बर 910 कुल रकबा 6.82 हेक्टर में से क्रमशः 0.18, 0.03 व 0.013 पर मकान मय चार दिवारी,पक्की नींव व पक्का टांका,पक्की नींव व पक्का टांका बनाकर अतिक्रमण करने से पटवारी हल्का ओडवाडा की रिपोर्ट जिसको भू अभिलेख निरीक्षक देबावास द्वारा जांच की गई है,अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार आहोर को पेश करने पर प्रकरण सं. 12/2017 दिनांक1.6.17 को दर्ज किया जाकर, अपीलांट को नोटिस जारी किया गया जिसकी आगामी तारीख पेशी 16.6.17 को रखी गई, दिनांक 21.7.17 को गैर सायल स्वयं उपस्थित हैं, उसको साक्ष्य,सबूत हेतु अवसर दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 25.9.17 को दी गई, दिनांक 25.9.17को गैरसायल अनुपस्थित है। दिनांक 16.11.17 को निर्णय के दिवस गैरसायल स्वयं उपस्थित है एवं उक्त दिवस को तहसीलदार आहोर द्वारा बेदखली व जुर्माना का आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार गैरसायल समय समय पर अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने से हम यह नहीं मान सकते कि अपीलांट को इस निर्णय बाबत् जानकारी नही है तथा साक्ष्य,सबूत का अवसर नही दिया गया हैं। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर लगातार कब्जा के सबंध में कोई सबूत अधिनस्थ न्यायालय में पेश नही किये है जिससे उसका अतिक्रमण नियमन की परिभाषा में भी नहीं आता हैं। भूमि की किस्म गैर मुमकिन बारानी सोयम है यानि सरकारी भूमि होने से तहसीलदार आहोर द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है।

अपीलांट वकील ने खसरा नम्बर 910 में से 0.18, 0.013, 0.013 हेक्टर, किस्म बारानी सोयम बाबत् किसी भी न्यायालय में कोई स्थगन होने का साक्ष्य, सबूत पेश नही किया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

आदेश

अपीलांट द्वारा तहसीलदार आहोर के आदेश दिनांक 16.11.17(प्र.सं. 12/17) के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

Sd 11-7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 11.7.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

Sd 11/7/19
(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.18 16:05:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: